18/6/25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधि. उप.। मामले में उभय पक्ष अधि. की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकर्ड है और विपक्षीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमियों पर अवैध कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। जहां तक विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रतिप प्रा० पत्र का प्रश्न है तो विपक्षी द्वारा अपने प्रतिप प्रा० पत्र मे अंकित तथ्यो को सिद्ध करे ऐसा कोई साक्ष्य, सबुत पेश नही किया गया है। जो उनके प्रतिप प्रा० पत्र को सिद्ध कर सके। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. का स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम नाथद्वारा के वाद ग्रस्त आ. न. 1203, 1204 कुल किता-2 कुल रकबा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर प्रतिवादी गण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है। और विपक्षी का प्रतिप प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द